

न्यायालय जिला कलेक्टर, भरतपुर
अपील/आरटीआई/09/2023

श्री देवप्रकाश शर्मा, 3-च-10 आर.एच.बी.शास्त्री नगर जयपुर 302016
.....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी, अति.जिला कलेक्टर, भरतपुर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश


दिनांक 3.03.2023

अपीलार्थी श्री देवप्रकाश शर्मा, 3-च-10 आर.एच.बी.शास्त्री नगर जयपुर 302016 राज0 की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलेक्टर, भरतपुर के खिलाफ अपील प्राप्त हुई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/23/189 दिनांक 23.2.23 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलेक्टर, भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलेक्टर, भरतपुर से प्राप्त जवाब पत्र क्रमांक स्था/2022/1086 दिनांक 1-3-23 शामिल पत्रावली किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया गया, अपीलान्त ने अपनी अपील में कथन किया है कि लोक सूचना अधिकारी ने उसे अभी तक सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलेक्टर, भरतपुर से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया, लोक सूचना अधिकारी ने अपने जवाब में अंकित किया है आवेदक को जरिये पत्र क्रमांक/स्था/रा.लो.सूआ/2023/442 दिनांक 27.1.23 से प्रार्थी के पते पर सूचना प्रेषित की जा चुकी है अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की है। लोक सूचना अधिकारी के जवाब के साथ प्राप्त फोटो कॉपी पत्र क्रमांक/स्था/रा.लो.सूआ/2023/442 दिनांक 27.1.01.23 जो कि अपीलार्थी को भेजा गया है के अवलोकन से निर्विवाद है अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उसे भेजी जा चुकी है। यानि लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं है। अस्तु अपील अपीलान्त


.....2


जिला कलेक्टर
भरतपुर (राज0)

(2)

अपील/आरटीआई/09/2023
देवप्रकाश शर्मा बनाम ए.डी.एम.भरतपुर

खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सलंग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित की जावे है। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।


(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर, भरतपुर
भरतपुर